



जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्वी सिंहभूम।



आम सूचना

मनरेगा अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन में J.C.B मशीन का प्रयोग वर्जित है। इस आम सूचना के माध्यम से सभी J.C.B धारकों एवं सभी कार्यकारी एजेंसियों को सूचित किया जाता है कि मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में किसी भी परिस्थिति में J.C.B मशीन का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि किसी भी मनरेगा योजना में J.C.B मशीन द्वारा काम करते हुए पाया जाता है तो J.C.B धारक एवं कार्यकारी एजेंसी के ऊपर सख्त कार्रवाई संबंधित प्रखण्ड द्वारा करते हुए J.C.B मशीन को जब्त कर लिया जाएगा।

Handwritten signature

उप विकास आयुक्त

—सह—जिला कार्यक्रम समन्वयक,
पूर्वी सिंहभूम।

ज्ञापांक— 737 / जि0ग्रा0 दिनांक— 17.06.20

प्रतिलिपि— सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन में J.C.B मशीन का प्रयोग करने पर कार्यकारी एजेंसी एवं J.C.B धारक के ऊपर नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि— जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि स्थानीय सभी दैनिक समाचार पत्रों में इसे प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करेंगे।

Handwritten signature

उप विकास आयुक्त

—सह—जिला कार्यक्रम समन्वयक,
पूर्वी सिंहभूम।